संख्या-50/2025/840/22-4-2025-1764567

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 24 अक्टूबर, 2025

विषय:- कारागारों के कृषि फार्मों हेतु ट्रैक्टर एवं सहवर्ती कृषि उपकरणों की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-35830/कृषि-3/165/2025-26, दिनांक 12.09.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश की कारागारों में उपकरणों (यथा-हाइड्रोलिक ट्रैक्टर ट्रॉली, पोटेटो प्लाण्टर, पोटेटो डिगर, कल्टीवेटर, रोटावेटर, पावर स्प्रे मशीन, हैरो डिस्क, लैण्ड लेवलर, ट्रैक्टर चालित माउंटेड बांड, बूम स्प्रेयर, ट्रैक्टर) को जैम पोर्टल पर क्रय किये जाने हेतु धनराशि **रू0 79.80 लाख** (रूपये उन्यासी लाख अस्सी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करतें हैं:-

क्र0	कार्य	मात्रा	दर	कुल लागत
1	हाइड्रोलिक ट्रैक्टर ट्रॉली	12	275000/-	3300000/-
2	पोटेटो प्लाण्टर	04	205000/-	820000/-
3	पोटेटो डिगर	05	155000/-	775000/-
4	कल्टीवेटर	01	49100/-	49100/-
5	रोटावेटर	01	135000/-	135000/-
6	पावर स्प्रे मशीन	07	12010/-	84070/-
7	हैरो डिस्क	02	120000/-	240000/-
8	लैण्ड लेवलर	01	28899/-	28899/-
9	ट्रैक्टर चालित माउंटेड बांड	02	30000/-	60000/-
10	बूम स्प्रेयर	01	87859/-	87859/-
11	ट्रैक्टर	03	800000/-	2400000/-
			योग-	**7979928/- अर्थात 7980000/-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा उपकरण/सेवाओं का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जायेगा।

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व महानिरीक्षक, कारागार द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त उपकरणों के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नही की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणों आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) महानिरीक्षक, कारागार कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित उपकरणों के मेक/माडल/ स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के संबंध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(4) महानिरीक्षक, कारागार क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।

(5) उपकरणों का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नही किया जायेगा।

(6) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2026 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 79,80,000 (रुपये उनासी लाख अस्सी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008002600 समस्त कारागार **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-E-12-307-X-2025-26, दिनांक 14.10.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-50/2025/840(1)/22-4-2025-1764567, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।